मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 22/03/2018

कमांक एफ–1(बी)40/2017/बी–4/दो,:: राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेबल–09 (रूपये 36,200–114,800/–) में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये स्थान पर पदस्थ करता है :–

कमांक	लोक सेवा आयोग की चयन सूची कमांक	उम्मीदवार का नाम	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4
1.	21	सुश्री तुलसी मानकर,अजा	शाजापुर
2.	27	श्री जतिन तिवारी, अनारक्षित	उमरिया
3.	37	सुश्री आदर्श सिंह सोलंकी, अनारक्षित	सीधी
4.	39	श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी, अनारक्षित	जबलपुर
5.	52	श्री जीतेन्द्र सिंह, अनारक्षित	मण्डला
6.	80	श्रीमती अंजू सिंहचौहान, अनारक्षित	रीवा
7.	82	श्री निशीकांत झा, अनारक्षित	सतना
8.	88	सुश्री निहारिका सिंह , अनारक्षित	भोपाल
9.	96	श्री किशनलाल प्रजापति, अजा	हरदा
10.	98	श्री प्रसून कुमार द्विवेदी, अनारक्षित	बैतूल
11.	100	श्री परितोष देवनाथ , अनारक्षित	छिंदवाडा
12.	111	सुश्री भावना मिश्रा, अनारक्षित	उमरिया
13.	124	श्री प्रवीण कुमार सिह, अपिव	शहडोल
14.	149	श्री दिलीप सिंह राठौर , अपिव	सिंगरौली
15.	158	श्री रामअचल पाल, अपिव	सिंगरौली
16.	172	सुश्री प्रीति शाक्य , अजा	इंदौर
17.	190	सुश्री यशोधरा तायडे , अजा	धार
18.	200	श्री राजेन्द्र नायक अपिव (दिव्यांग)	नीमच
19.	213	श्री रतन सिंह धुर्वे, अजजा	छिंदवाडा
20.	214	श्री सतिश सोलंकी, अजजा	खरगौन
21.	216	श्री मुकेश मौर्य, अजजा	रतलाम
22.	226	श्री राजू पन्द्रे, अजजा	बैतूल
23.	233	श्री जमना प्रसाद धुर्वे अजजा	जबलपुर
24.	239	श्रीमती रीता देवी कोल, अजजा	सतना

2/— सरल कमांक—18 पर अंकित अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र नायक (दिव्यांग) का नियुक्ति आदेश रिट पिटीशन कमांक 18485/2017 में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

3/— निःशक्तजन उम्मीदवारों के निःशक्तता प्रमाण पत्र का सत्यापन जिला मेडिकल बोर्ड से कराने के उपरांत उप संचालक, अभियोजन/जिला अभियोजन अधिकारी जिले के कलेक्टर के माध्यम से समन्वय कर ज्वाईन कराएंगे।

4/— नियुक्त अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित समस्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

5/— नियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि से संबंधित प्रकरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961, म.प्र. लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1991 तथा शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत शासित होंगे।

6/— नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग से जारी सूची के कमानुसार निर्धारित होगी।

7/— नियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन तथा भत्ते जो उस समय प्राप्त कर रहे होगें, नगद जमा करना होगा, अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भॉति उनसे वसूल की जावेगी।

8/— नवनियुक्त अधिकारी पर परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2005 के प्रावधान लागू होंगे।

9/— नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य/गलत पाई जाने पर सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

10/— नियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

11/— अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र तथा निःशक्तजन उम्मीदवार की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र की मूल प्रति संबंधित जिले के जिला अभियोजन अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

Sd/-

12/– प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग को आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमाक, सन 1994) उपबंधों को और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) अधिनियम की धारा–6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के नाम से तथा आदेशानुसार

22.3.18

(श्रीदास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

पृ0क0एफ–1(बी) 40/2017/बी–4/दो भोपाल, दिनांक 22/03/2018

प्रतिलिपि :– **निम्नाकिंत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर, की ओर उनके पत्र कमांक 3392/51/2016/चयन, इंदौर, दिनांक 29 मई 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश।
3. महालेखाकार, मध्यपदेश ग्वालियर।
4. संबंधित कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक
5. संबंधित कोषालय अधिकारी,
6. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, गृह विभाग।
7. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, गृह।
8. निज सचिव, सचिव, गृह ।
9. संबंधित उप सचांलक, अभियोजन,
10. संबंधित जिला लोक अभियोजन अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व उनके मूल नियुक्ति आदेश, शैक्षणिक योग्यता, जाति–प्रमाण एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि संबंधी मूल अभिलेख की जॉच कर ले तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस विभाग को दे।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी..

....

समस्त उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि वे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थापना स्थान पर आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में मूल अभिलेखों के साथ निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो, अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगीं।

22.3.18

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग